**माननीय न्यायाधीश राजन गुप्ता के समक्ष**

1. सीआरएम-एम-6758-2015 (ओ एंड एम)

निर्णय की तिथि: 16 सितंबर, 2015

**केंद्रीय जांच ब्यूरो ...याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**हरसिमरनजीत सिंह और अन्य...उत्तरदाता**

2. सीआरएम-एम-44147-2014 (ओ एंड एम)

**इंस्पेक्टर एस.पी.एस. सोंधी ...याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**हरसिमरनजीत सिंह और अन्य ...उत्तरदाता**

**अभिनिर्धारित, की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, ए.एस.नारायण राव के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय, याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं कर सकता है। सीबीआई मैनुअल जांच करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताता है। इस अदालत के विचार से, विशेष अदालत केवल उन मामलों की सुनवाई करने के लिए बनाई जाती है जिनकी जांच पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों के साथ-साथ विशेष अपराध में भी सीबीआई द्वारा की जा चुकी है। यह उन अपराधों की जांच के लिए बनाई गई विशेष एजेंसी है जिनका कई राज्यों में असर हो सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों और विशेष अपराध के जटिल मामलों के अलावा अंतर-राज्य या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों की जांच करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे अपराधों का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो को केवल उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही उनके अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में सौंपा जा सकता है।**

**( पैरा 10)**

उपरोक्त के मद्देनजर, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई अदालत द्वारा दिया गया आदेश धारणीय नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। उपरोक्त शर्तों में याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

( पैरा 11)

सुमित गोयल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

एच.एस. भुल्लर, प्रतिवादी नंबर 1 के अधिवक्ता।
कुणाल डावर, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए, सीआरएम-एम-6758 में
और सीआरएम-एम-44147 में याचिकाकर्ता के लिए।

**राजन गुप्ता, न्यायाधीश ( मौखिक )**

1. यह आदेश उपरोक्त दो आपराधिक विविध याचिकाएं का निस्तारण करेगा जिसमें से, एक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर की गई और दूसरी इंस्पेक्टर एस.पी.एस. सोंधी द्वारा दायर की गई, जिसमें विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 15.12.2014 के आदेश पर आपत्ति जतायी गयी हैं, जिसका ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

> " रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायत एसपी, सीबीआई द्वारा दिनांक 10.03.2014 के पत्र के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक को भेज दी गई है। दिनांक 15.12.2014 की आपराधिक शिकायत की सामग्री और संलग्न दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड में यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 120-बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 384 के तहत दंडनीय अपराध के घटक हैं। इसलिए, सीबीआई को मामला दर्ज करने और इसके अनुसार आगे की जांच को क़ानून के तहत करने का निर्देश दिया जाता है।"

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो कि हैं **केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसपी के माध्यम से बनाम राजस्थान राज्य**[1] के मद्देनजर, कानून की दृष्टि धारणीय नहीं है।

3. सी.बी.आई. के विद्वान अधिवक्ता, श्री गोयल का यह भी तर्क है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते समय कई विवाद्यक संबद्ध हैं जिसमें मंजूरी के प्रश्न भी शामिल हैं। कुछ मामलों में, एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाती है और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 156 (3) को लागू करके एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करना विशेष अदालत की विभूति से परे है, क्यूँकि यह एक मजिस्ट्रेट की विभूति है।

4. प्रतिवादी संख्या 1/शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री भुल्लर का तर्क है कि आदेश, विशेष न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार पारित किया गया है। उनके अनुसार उक्त

---

[1]2001 (1) आर.सी.आर. (क्रिमिनल) 574

आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता, और उन्होंने, **डॉ. ए.एस. नारायण राव बनाम सीबीआई**[2] के निर्णय का संदर्भ दिया हैं।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तों को सुना है और मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी हरसिमरनजीत सिंह ने विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, चंडीगढ़ के समक्ष एक शिकायत (अनुलग्नक पी-2) दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इंस्पेक्टर एस.पी.एस. सोंधी आर्थिक अपराध शाखा, चंडीगढ़ ने गिरफ्तार किया था, एफआईआर संख्या 60 दिनांक 19.03.2013 के अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी और उत्प्रवास अधिनियम की धारा 24 के तहत, जो कि पुलिस स्टेशन सेक्टर 3, चंडीगढ़ में दर्ज की गयी थी । उन्हें आर्थिक कार्यालय विंग में ले जाया गया और पूछताछ की गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपने बैंक खातों की जानकारी दी। उक्त अधिकारी ने उससे आठ चेक पर हस्ताक्षर कराए। खाते और उसमें उपलब्ध राशि की पुष्टि के लिए उन्हें एचडीएफसी बैंक, सेक्टर 40, चंडीगढ़ भी ले जाया गया। उसके लॉकर को तोड़ने और एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए उससे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर भी कराए गए। बाद में, फरवरी, 2014 में, शिकायतकर्ता को पता चला कि उसके द्वारा दो व्यक्तियों, जसविंदर सिंह और मनदीप सिंह के नाम पर जारी किए गए चार चेक के नक़द बनाये गए थे। उन्हें संदेह था कि उक्त व्यक्तियों ने इंस्पेक्टर एस.पी.एस. सोंधी के साथ कुछ राशि साझा की थी।परिणामस्वरूप, उन्होंने एस.पी. केंद्रीय जांच ब्यूरो, चंडीगढ़ को शिकायत की। शिकायत पर सी.बी.आई. द्वारा कार्रवाई की गई और महानिरीक्षक, यू.टी. चंडीगढ़ को उचित कार्रवाई हेतु भेज दी गई।। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने आरोपी (यहां प्रतिवादी संख्या 2 और 3) के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया। विशेष अदालत ने पूर्वगामी पैरा में पुनरुत्पादित आदेश पारित किया, जिसमें सीबीआई को मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया।

7. व्यथित, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आरोपी एस.पी.एस. सोंधी ने भी, इस अदालत के समक्ष वर्तमान याचिकाएँ दायर की हैं। **सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी यही प्रश्न उठा था कि क्या किसी मजिस्ट्रेट के पास किसी अपराध की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश देने की विभूति है। यह प्रश्न केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के निर्णयों को चुनौती देने वाली कुछ अपीलों के मद्देनजर उठा, जिसमें कुछ मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित समान आदेशों को बरकरार रखा गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा

---

[2]2012 (189) डीएलटी 747

कि किसी मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश जारी करने के लिए मजिस्ट्रियल विभूति का विस्तार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इस विभूति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 142(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पढ़ें:-

> " 12. दिल्ली अधिनियम की धारा 5, केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को राज्य के किसी भी क्षेत्र में विस्तारित करने में सक्षम बनाती है। दिल्ली अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार है कि, " धारा 5 में निहित किसी भी बात को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य को उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना, राज्य के किसी भी क्षेत्र में, जो केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे क्षेत्र नहीं है, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला नहीं माना जाएगा।" हमारे सामने एक तर्क दिया गया था कि जब राज्य अपने क्षेत्र के भीतर किसी अपराध की जांच के लिए सीबीआई को सहमति देता है तो मजिस्ट्रेट के लिए सीबीआई के अधिकारी को ऐसी जांच करने का निर्देश देना स्वीकार्य होगा। दिल्ली अधिनियम की धारा 5 और 6 में जो परिकल्पना की गई है, वह किसी मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 156 (3) के अभ्यास में सीबीआई को जांच करने का आदेश देने की विभूति प्रदान करना नहीं है।
>
> 13. सच है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों और संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 142 (1) के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कुछ मामलों में जांच करने के लिए सीबीआई को ऐसे निर्देश देने के लिए, संयमित रूप से, लागू किया जा सकता है, जैसा कि इन निम्नलिखित मामलो में संदर्भित हैं, **कश्मीरी देवी बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य, 1988 (सप्लमेंटरी) एससीसी 482 और मनियेरी माधवन बनाम पुलिस उप-निरीक्षक और अन्य, 1993 (3) आरसीआर (सीआरएल) 624 (एससी): 1994 (1) एससीसी 536**। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 10.3.1989 के एक आदेश द्वारा इस प्रश्न का उल्लेख किया है कि क्या उच्च न्यायालय उस राज्य सरकार की सहमति के बिना या दिल्ली अधिनियम की धारा 6 के तहत उस संबंध में कोई अधिसूचना या आदेश जारी किए बिना किसी राज्य के भीतर किए गए संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दे सकता है।
>
> 15. चूँकि वर्तमान चर्चा इस प्रश्न तक ही सीमित है कि क्या कोई मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीबीआई को जांच करने का निर्देश दे सकता है, इसलिए हमारे लिए उस मुद्दे के दायरे से परे जाना अनावश्यक है। इसलिए, हम दोहराते हैं कि उक्त उपधारा के तहत मजिस्ट्रेट की विभूति को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है।"

8. **पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति पश्चिम बंगाल और अन्य**[3] के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठे प्रश्न पर विचार करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की शक्ति पर विचार किया। न्यायालय का कहना था कि क्या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक संज्ञेय अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकता है, जो कथित तौर पर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हुआ था, वो भी राज्य सरकार की सहमति के बिना। इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया:-

> "(vii) जब विशेष पुलिस अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि राज्य की सहमति के अधीन, सीबीआई उस अपराध के संबंध में जांच कर सकती है जो अन्यथा राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था, तो अदालत भी, न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक विभूति प्रयोग करते हुए और सीबीआई को राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच करने का निर्देश दे सकती हैं । संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा संक्षिप्त या कम नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान के बावजूद, संघ की शक्तियों पर विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत या संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा।
>
> 45. अंतिम विश्लेषण में, संदर्भित प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्र के भीतर कथित संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए सीबीआई को दिया एक निर्देश वो भी किसी राज्य की सहमति के बिना न तो संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा और न ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेंगा और कानून में मान्य होंगे। नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने के नाते, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी है, जो सामान्य रूप से भाग III और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उत्साहपूर्वक और सतर्कता से दिए गए हैं।
>
> 46. मामले को समाप्त करने से पहले, हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय, अदालतों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्वयं द्वारा लगाई गई सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त अनुच्छेदों के तहत विभूति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है।

---

[3]2010 (2) आरसीआर (क्रिमिनल) 141

जहां तक किसी मामले में जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश जारी करने का सवाल है, हालांकि यह तय करने के लिए कोई अनमनीय दिशानिर्देश नहीं दिया जा सकता है कि ऐसी विभूति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि इस तरह की किसी आदेश को नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी पार्टी ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं।

असाधारण शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक, सावधानी से और असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो।अन्यथा, सीबीआई के पास बड़ी संख्या में मामले होंगे और सीमित संसाधनों के साथ, गंभीर मामलों की भी ठीक से जांच करना मुश्किल हो सकता है और इस प्रक्रिया में असंतोषजनक जांच के कारण वह अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो देगी।"

9. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केवल उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 226 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीबीआई को जांच सौंप सकते हैं। यह किसी दिए गए मामले में सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट और विशेष अदालतों की शक्ति को छीन लेता है। यहां तक कि अदालतों को अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग भी संयमपूर्वक और सावधानी से करना होगा। उपरोक्त निर्णय के अनुपात के अनुसार, कुछ स्वयं द्वारा लगाई गई सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी मामले का अंतरराज्यीय प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में फिर में कोई स्थानीय पुलिस स्टेशन नहीं होगा। सीबीआई का रुख है कि, वह एक केंद्रीकृत एजेंसी होने के कारण उनके द्वारा की गयी जांच पर भी , प्रधान कार्यालय स्तर पर बारीकी से निगरानी की जाती है। यही कारण है कि उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अदालत के आदेश से सीबीआई को सौंपे गए मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है और इससे संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

10. इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि सीबीआई मैनुअल में यह प्रावधान है कि एजेंसी कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच करने की हकदार है और उसके बाद निर्णय लेती है कि कहां एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है या नहीं। सीबीआई मैनुअल द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया को **विनीत नारायण बनाम भारतीय संघ**[4] के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में अनुमोदित किया गया है। पैरा 63 उप पैरा 12 इस प्रकार है:-

---

[4]1998 (1) आरसीआर (क्रिमिनल) 357

> "आपराधिक प्रक्रिया संहिता के वैधानिक प्रावधानों पर आधारित सीबीआई मैनुअल सीबीआई के कामकाज के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह जरूरी है कि सीबीआई छापेमारी, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे अपने जांच कार्यों के संबंध में मैनुअल के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करे। स्थापित प्रक्रिया से किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, **ए.एस.नारायण राव के मामले (सुप्रा)** में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय, याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं कर सकता है। सीबीआई मैनुअल जांच करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताता है। इस अदालत के विचार से, विशेष अदालत केवल उन मामलों की सुनवाई करने के लिए बनाई जाती है जिनकी जांच पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों के साथ-साथ विशेष अपराध में भी सीबीआई द्वारा की जा चुकी है। यह उन अपराधों की जांच के लिए बनाई गई विशेष एजेंसी है जिनका कई राज्यों में असर हो सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों और विशेष अपराध के जटिल मामलों के अलावा अंतर-राज्य या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों की जांच करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे अपराधों का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो को केवल उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही उनके अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में सौंपा जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई अदालत द्वारा दिया गया आदेश धारणीय नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। उपरोक्त शर्तों में याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**ऋतु तंवर**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**
(Trainee Judicial Officer)
**हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़**